संख्या-159/2016/749/22-2-2015-17(173)/2015

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवकुमार पुत्र श्री राम आधार निवासी जनपद-कानपुर देहात की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15646/पर-3(एम-05-06-2014) दिनांक-18-06-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवकुमार पुत्र श्री राम आधार, निवासी-गुटैइया, थाना-रूरा, जनपद-कानपुर देहात का रहने वाला है। पत्नी से सम्बन्ध अच्छे न होने एवं पारिवारिक विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 11.03.1980 को सायंकाल के समय कुल्हाडी से मारकर अपनी 02 पुत्रियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-168/1980 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 31.07.1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04-06-2014 तक 16 वर्ष 08 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 00 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी का मानसिक सन्तुलन ठीक नही है। कभी भी कोई अपराध कर सकता है, बन्दी के सम्यपूर्व रिहा होने पर पुन: अपराध करने से इनकार नहीं किया जा सकता, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या तथा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी शिवकुमार पुत्र श्री राम आधार को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवकुमार (बन्दी संख्या-10700) पुत्र श्री राम अधार निवासी जनपद-कानपुर देहात के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-159/2016/749(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-159/2016/749@22-2-2015-17(173)/2015

दिनांक 22 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवकुमार पुत्र श्री राम आधार, निवासी-गुटैइया, थाना-रूरा, जनपद-कानपुर देहात का रहने वाला है। पत्नी से सम्बन्ध अच्छे न होने एवं पारिवारिक विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 11.03.1980 को सायंकाल के समय कुल्हाडी से मारकर अपनी 02 पुत्रियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-168/1980 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 31.07.1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04-06-2014 तक 16 वर्ष 08 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 00 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी का मानसिक सन्तुलन ठीक नही है। कभी भी कोई अपराध कर सकता है, बन्दी के सम्यपूर्व रिहा होने पर पुन: अपराध करने से इनकार नहीं किया जा सकता, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या तथा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवकुमार पुत्र श्री राम अधार को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।